



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

नगर प्रशासन विभाग

सम्पदा भवन, हॉस्टल न. 04, पिपलानी, भोपाल – 462022

संपर्क: 07552503043/3271/5757

(खुली निविदा)

निविदा क्र. TAD/SC/VB/2023-24

दिनांक 26/12/2023

विषय: बीएचईएल, लोक परिसर, भोपाल में लाइसेंस के तहत केवल उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की अवधि हेतु भवन में वाणिज्यिक/ व्यापारिक गतिविधि (commercial/ trading activities) हेतु अस्थाई अनुमति संबंधी।

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल के विभिन्न क्षेत्र में स्थित रिक्त भवनो में वाणिज्यिक/ व्यापारिक गतिविधि (commercial/ trading activities) किये जाने हेतु इच्छुक व पात्र कंपनी/संस्थान/सोसाइटी से खुली निविदा (Open Tender) प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दो भाग (तकनीकी बिड व वाणिज्यिक बिड) प्रणाली के अंतर्गत खोली जाएगी। तकनीकी रूप से सफल आवेदक (Bidder) की ही वाणिज्यिक निविदा (प्राइस बिड) खोली जाएगी, तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धृत (quote) करने वाले (H-1) आवेदक (Bidder) को लाइसेंस आधार पर अस्थाई अनुमति प्रदान की जाएगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश, आवेदन प्रपत्र, तकनीकी मापदंड, वाणिज्यिक बिड का प्रारूप, निबंधन एवं शर्तें, संबंधित परिशिष्ट, आदि की जानकारी/ दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

तालिका 1

क्र.	दस्तावेज/प्रारूप	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
1	आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क तथा धरोहर राशि का विवरण	परिशिष्ट 1	2
2	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा- निर्देश	परिशिष्ट 2	3-4
3	आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट 3	5
4	निबंधन एवं शर्तें	परिशिष्ट 4	6-7
5	तकनीकी निविदा	परिशिष्ट 5	8
6	वाणिज्यिक निविदा	परिशिष्ट 6	9
7	पूर्ववर्ती (antecedent) संबंधी घोषणा पत्र	परिशिष्ट 7	10
8	NEFT/RTGS हेतु बी.एच.ई.एल. के बैंक खाते का विवरण	परिशिष्ट 8	11
9	आदर्श लाइसेंस अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 9	12-18

बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित विभिन्न क्षेत्र में रिक्त भवनो में वाणिज्यिक/ व्यापारिक गतिविधि (commercial/ trading activities) किए जाने हेतु लाइसेंस के तहत केवल उपयोग के अधिकार के आधार पर अस्थाई आवंटन किए जाने हेतु खुली निविदा के अंतर्गत दो बिड (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) प्रणाली में आवेदक (Bidder) से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित किए जाने हेतु रिक्त भवनो का विवरण निम्नानुसार है :

तालिका – 2

क्र.	बी.एच.ई.एल., लोक परिसर, भोपाल स्थित भवन का विवरण	भवन का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आश्रित मासिक लाइसेंस शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (EMD) (रुपये)
1	Building near ancillary area Habibganj (Old Malik Memorial School)	4876	229760/-	689280/-
2	Building in E Sector, Berkhera (Old dispensary)	9484	307400/-	922200/-
3	Metpa Shed A Sector, Piplani	3096.13	83740/-	251220/-
4	Part of Hostel No. 2, A Sector, Piplani (Old Security office, G+1)	5513.27	149110/-	447330/-
5	Building in Ramlila Ground, E Sector, Berkhera (Old welfare Center)	7265.64	235500/-	706500/-

किसी भी भवन हेतु तकनीकी रूप से सफल आवेदक कंपनी/संस्थान/सोसाइटी द्वारा अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत (H1) (Maximum License Fee Quote) करने वाले सफल आवेदक (H1-Bidder) को आशय-पत्र जारी किया जाएगा।

नोट:- कृपया व्यवसाय के चयन हेतु तालिका – 3 का अवलोकन करें।

तालिका – 3

सामान्य व्यवसाय का विवरण :					
1	Bartan bhandar (utensils)	12	Flower Shop	23	Photo Studio
2	Beauty Parlor	13	General Store	24	Pooja Store
3	Book Shop	14	Gift Shop	25	Printing/Screen Printing Shop
4	Cattle feed	15	Hardware Shop	26	Restaurant & Refreshment Shop
5	Cloth Store	16	Home Appliances	27	Share investment
6	Cotton Shop	17	Internet café	28	Shoe Shop
7	Cycle Store	18	Jewellery Shop	29	Stationary Shop
8	Dr/ Clinic	19	Office work	30	STD/PCO
9	Electrical Goods	20	Pan Bidi Shop	31	Typing Institute
10	Electronic Goods	21	Photo copy Shop	32	Tailoring Shop
11	Embroidery Shop	22	Photo framing Shop	33	Commercial/ trading activities

तालिका – 4

प्रतिबंधात्मक व्यवसाय:			
1	Liquor Shop	4	Dance bars
2	Casino & similar	5	Night Clubs & like
3	Bar & Pubs	6	Other activities/ businesses which are illegal under Criminal Law

वरि. प्रबंधक (नगर प्रशासन)

खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश

तालिका 5

क्र.	मुख्य बिन्दु	विवरण
1.	निविदा का उद्देश्य	बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त भवनो का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की अवधि हेतु आवंटन
2.	निविदा क्र. एवं दिनांक	TAD/SC/VB/2023-24 दिनांक 26/12/2023
3.	निविदा का प्रकार	खुली निविदा - दो भाग (तकनीकी व वाणिज्यिक) प्रणाली में
4.	निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का दिनांक एवं समय	दिनांक 27/12/2023 से 17/01/2024 तक समस्त कार्य दिवस पर प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (भोजन अवकाश दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे तक) अथवा बी.एच.ई.एल. की वेबसाइट www.bhel.com से भी निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं
5.	निविदा पूर्व बैठक का दिनांक व समय	10/01/2024 दोपहर 2:30 बजे
6.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, निविदा पूर्व बैठक, शंका-समाधान, आदि हेतु नियत स्थान	दुकान प्रकोष्ठ, प्रथम तल, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल
7.	निविदा दस्तावेज का मूल्य	रुपये 1180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र जी.एस.टी. सहित) प्रति निविदा दस्तावेज (वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा) जिसका विवरण परिशिष्ट-5 में देना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी
8.	निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान एवं अंतिम दिनांक	सफेद रंग का निविदा बॉक्स, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, ए सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल, दिनांक 18/01/2024 दोपहर 2:00 बजे तक
9.	तकनीकी निविदा खुलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 18/01/2024, दोपहर 3:30 बजे से, सम्मेलन कक्ष, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, ए सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल
10.	धरोहर राशि (EMD) जमा का विवरण	तालिका 01 अनुसार
11.	निविदा की वैधता	तकनीकी निविदा खुलने से 6 (छः) माह तक
12.	अस्थाई आवंटन की संभावित दिनांक	लाइसेंस अनुबंध की दिनांक से

- (1) निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव न करें। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव किया गया है तो नियमानुसार आवश्यक लागू कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- (2) प्रत्येक स्थल हेतु पूर्णतः भरी हुई व आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी एवं वाणिज्यिक निविदा अलग-अलग लिफाफे में रखकर, संबंधित लिफाफे पर “लिफाफा क्र. 1- तकनीकी निविदा” तथा “लिफाफा क्र. 2- वाणिज्यिक निविदा” लिखकर प्रत्येक लिफाफे पर निविदा सूचना क्र. एवं दिनांक, कंपनी/संस्थान/सोसाइटी की मुहर/रबर स्टेम्प लगाकर इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर मुहरबंद कर “निविदा सूचना क्र. एवं दिनांक, वांछित भवन का विवरण तथा नाम एवं पता लिखकर मुहर/रबर स्टेम्प लगाकर जमा करना होगा।
 - लिफाफा क्र. 1 में (क) निविदा हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट-3 (ख) आवंटन संबंधी निबंधन एवं शर्तें परिशिष्ट-4 (ग) तकनीकी निविदा परिशिष्ट-5 एवं निविदा संबंधी सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर (जो लागू हों) रखने होंगे।
 - लिफाफा क्र. 2 में पूर्ण रूप से भरी हुई केवल वाणिज्यिक निविदा (परिशिष्ट-6) को ही रखें। यदि वाणिज्यिक निविदा तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखी पायी जायेगी तो निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
- (3) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ (आवेदन पत्र, निविदा के निबंधन व शर्तें, तकनीकी एवं वाणिज्यिक निविदा आदि) पर सहमति स्वरूप आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर, मुहर/रबर स्टेम्प (यदि हो) लगाकर जमा करना होगा जिसका तात्पर्य होगा कि आवेदक को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तें यथावत बिना किसी शर्त के स्वीकार हैं। प्राधिकृत व्यक्ति

निरंतर.....

.....निरंतर

हेतु रुपये 100/- (एक सौ) मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।

- (4) आवेदक (Bidder) की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (5) व्यवसाय के चयन हेतु तालिका-3 का अवलोकन करें।
- (6) किसी भी भवन हेतु तकनीकी रूप से सफल एवं अधिकतम मासिक लाइसेन्स शुल्क उद्भूत (H1) (Maximum License Fee Quote) करने वाले आवेदक कंपनी/संस्थान/सोसाइटी को आशय-पत्र जारी किया जाएगा।
- (7) भवन की यथा स्थिति एवं इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु आवेदक भवन का भौतिक निरीक्षण स्वयं कर लें। निविदा जमा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदक को भवन की स्थिति की जानकारी है एवं यथास्थिति स्वीकार है।
- (8) आवेदक एक या अधिक भवन हेतु निविदा जमा कर सकता है। प्रत्येक भवन हेतु निविदा अलग-अलग जमा करनी होगी। धरोहर राशि का विवरण तालिका 2 में वर्णित है। संबंधित भवन हेतु लागू धरोहर राशि का भुगतान कर उसका विवरण तकनीकी निविदा के कालम में भरना होगा एवं किये गये भुगतान सम्बंधी रसीद/ दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जाए। अन्यथा आवेदक की निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
- (9) सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को अनुमति पत्र/ आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किए जाने के पश्चात प्रतिभूति जमा में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष असफल आवेदकों के आवेदन पर उनकी धरोहर राशि (EMD) बिना ब्याज के लाइसेंस अनुबंध की प्रक्रिया से संभवतः छः माह के भीतर वापिस कर दी जाएगी। सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर ली जाएगी:
 - H-1 आवेदक द्वारा अनुमति पत्र/ आशय पत्र (Letter of Intent) प्राप्त करने से पूर्व निविदा की शर्तों से मुकरने/ अस्वीकार करने पर।
 - बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी अनुमति पत्र/ आशय पत्र (Letter of Intent) की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस शुल्क, प्रतिभूति जमा, लागू कर (वर्तमान में जी.एस.टी.) आदि का भुगतान नहीं करने पर।
 - लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करने के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित कर कब्जा प्राप्त नहीं करने पर।
- (10) प्रतिभूति जमा बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित किन्हीं भी स्थिति में वापस की जा सकेगी :
 - लाइसेंस अनुबंध के नियम व शर्तों की संतोषजनक पूर्ति करते हुये लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर।
 - लाइसेंस समाप्ति/ निरस्तीकरण हेतु प्राप्त/जारी नोटिस के एक माह उपरांत।
 - बी.एच.ई.एल. की आवश्यकतानुसार स्थल खाली कारवाये जाने पर।
- (11) उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड, बकाया राशि, आदि का समायोजन वापसी योग्य प्रतिभूति जमा (सिक्युरिटी डिपॉजिट) से किया जाएगा।
- (12) निविदा दस्तावेज में आवेदक द्वारा वर्णित पता/ संपर्क सूत्र/ ई-मेल आई.डी./ आदि पर बी.एच.ई.एल. के प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी संदेश/ जानकारी/ सूचना आवेदक को वैसे ही प्राप्त मानी जाएगी जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई संदेश/ जानकारी/ सूचना।
- (13) निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.bhel.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त करने की स्थिति में धरोहर राशि (EMD) के अतिरिक्त रुपये 1180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र जी.एस.टी. सहित) प्रति निविदा दस्तावेज शुल्क के भुगतान का विवरण (प्रमाण) तकनीकी निविदा के साथ प्रदान करना होगा। निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का भुगतान किए बिना जमा की गई निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
- (14) धरोहर राशि (EMD), प्रतिभूति जमा (Security Deposit), लाइसेंस शुल्क, अर्थदण्ड, कर (Tax) आदि का भुगतान निम्नलिखित माध्यम से बीएचईएल, भोपाल को देय होगा:
 - NEFT/RTGS (परिशिष्ट-8 के अनुसार)
 - SBI Collect (onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm)
 - Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन (राजस्व) विभाग में POS के माध्यम से देय।
- (15) उपर्युक्त निविदा संबंधी कोई भी संशोधन, त्रुटि, शुद्धि, आदि की सूचना बी.एच.ई.एल. की वेबसाइट www.bhel.com पर ही दी जाएगी। कृपया समय समय पर बी.एच.ई.एल. की वेबसाइट www.bhel.com देखते रहें।
- (16) तकनीकी निविदा खुलने के दिनांक को यदि अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- (17) किसी भी या सभी निविदा(ओं) को बिना कोई लिखित कारण बताए अस्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार बी.एच.ई.एल. प्रबंधन को होगा।
- (18) निविदा प्रक्रिया संबंधी विवाद की स्थिति में अपर महाप्रबंधक (नगर प्रशासन) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत बी.एच.ई.एल. प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।

वरि. प्रबंधक (नगर प्रशासन)

निविदा हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

वरि. प्रबंधक

नगर प्रशासन विभाग

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सम्पदा भवन, होस्टल नं. 4

पिपलानी, भोपाल - 462022 (म. प्र.)

आवेदक का स्व-
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार का
नवीनतम फोटो

विषय: बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त भवनो का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन।

वांछित भवन _____ (तालिका 2 अनुसार)

व्यवसाय : _____ (तालिका 3 अनुसार)

1. कंपनी/संस्थान/सोसाइटी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

2. कंपनी/संस्थान/सोसाइटी की दशा में प्रोप्राइटर/डायरेक्टर का नाम _____

3. कंपनी/संस्थान/सोसाइटी की दशा में के स्थापना का दिनांक _____

4. स्थापना की वैधता दिनांक _____

5. कंपनी/संस्थान/सोसाइटी के कार्यालय का पूरा पता : _____

पिन: _____

6. प्रोप्राइटर/डायरेक्टर के निवास का पूरा पता : _____

पिन: _____

7. टेलीफोन नं. _____ मोबाइल नं. (1) _____ मोबाइल नं. (2) _____

8. आवेदक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ई-मेल आईडी: _____

9. कंपनी/संस्थान/सोसाइटी की दशा में प्राधिकृत प्रतिनिधि/व्यक्ति (यदि कोई) का नाम: _____

टेलीफोन नं. _____ मोबाइल नं. (1) _____ मोबाइल नं. (2) _____

आईडी प्रूफ एवं आईडी नं. _____ आवेदक एजेंसी के साथ अनुभव _____

प्राधिकरण पत्र/शपथ पत्र क्र. _____ दिनांक _____

10. आवेदक द्वारा वांछित व्यवसाय का विवरण : _____

आवेदक की घोषणा :

- मैंने निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लिया है जो कि मुझे स्पष्ट एवं स्वीकार्य हैं।
- मैंने तालिका 2 में दी गयी सूची अनुसार भवन का निरीक्षण कर लिया है तथा भवन को अपने व्यवसाय के प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाया है।
- मैं जानता हूँ कि तालिका 2 में वर्णित भवन सांकेतिक है, यह भवन वास्तविक सीमांकन कर प्रदाय किए जाने पर उपयोग में लाये जायेंगे।

संलग्न: रुपये 100/-के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्राधिकार पत्र (लागू होने पर)

दिनांक : स्थान :

नोट: एक से अधिक भवन के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जाए।

कंपनी/संस्थान/सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर एवं मुहर

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त भवनो का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर

अस्थाई आवंटन संबंधी निबंधन एवं शर्तें :

1. रिक्त भवन का अस्थाई आवंटन लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर 5 (पाँच) वर्ष की सीमित अवधि हेतु 'जहां है – जैसा है' स्थिति के आधार पर किया जाएगा।
2. किसी भी भवन हेतु कंपनी/संस्थान/सोसाइटी द्वारा अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत (H1) (Maximum License Fee Quote) करने वाले सफल आवेदक (H1-Bidder) को आशय-पत्र जारी किया जाएगा।
3. लाइसेन्सी स्वयं के व्यय एवं लागत पर आंतरिक एवं बाह्य रखरखाव करेगा। तदपि, इस मद पर ऐसे व्यय एवं लागत हेतु अनुज्ञा शुल्क में छूट का दावा करने अथवा अनुज्ञा की अवधि बढ़ाने हेतु पात्र नहीं होगा।
4. लाइसेन्सी के आवेदन पर बी.एच.ई.एल. के निर्णय अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत किया जा सकेगा जिस हेतु उस समय विद्यमान मासिक लाइसेंस शुल्क लागू किया जाएगा।
5. वांछित व्यवसाय तालिका-3 में प्रदत्त सूची अनुसार होने पर ही आवंटन किया जाएगा। उपर्युक्त स्थल पर निषेधित अथवा प्रतिबंधित व्यवसाय जैसे कि शराब, कसिनो, बार, पब्स, डांस बार, नाईट क्लब, तथा क्रिमिनल लॉ/लागू विद्यमान नियमों के अंतर्गत अवैध व्यवसाय, आदि करने की अनुमति प्रदान नहीं दी जाएगी।
6. प्रत्येक भवन हेतु निर्धारित आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक एवं उच्चतम राशि उद्धृत करने वाले H-1 (Highest Bidder) आवेदक संबंधित भवन का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र होगा, निविदा जमा करने के बाद वाणिज्यिक निविदा में उद्धृत (quoted) दर में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा। किसी भवन हेतु (H-1) उच्चतम राशि समान होने की दशा में उन आवेदकों से वाणिज्यिक निविदा खुलने के दिनांक से 7 (सात) दिनों के भीतर पुनः मोहरबंद वाणिज्यिक निविदा मंगवाई जायेगी।
7. निविदा दस्तावेज में आवश्यक रूप से आवेदक (Bidder) के पूर्ववृत्त (antecedent) के स्व-प्रमाणीकरण प्रदान करते हुये रुपये 100/- के गैर-न्यायाधिक स्टम्प पेपर में शपथ पत्र जमा करना होगा (परिशिष्ट-7 अनुसार)। लाइसेन्सी को लाइसेंस अनुबंध निष्पादित किये जाने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन (Police verification) स्वयं करवाकर नगर प्रशासन विभाग में प्रस्तुत करना होगा यदि निश्चित समय अवधि में लाइसेन्सी द्वारा पुलिस सत्यापन (Police verification) प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवंटन तत्काल निरस्त किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
8. आवंटनी को एक परिसर का आवंटन होने पर अन्य परिसर (दूसरा या अनुवर्ती) जिसके लिए निविदा प्रक्रिया बुलाई गई है, के आवंटन में बाधा नहीं होगी। तदपि किसी भी दशा में आवंटनी को भवन के लिए तीन से अधिक समवर्ती अनुज्ञा (Concurrent License) नहीं दी जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक को यदि किसी आवेदक के पास में तीन अनुज्ञाएं (license) होंगी तो उसकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
9. सफल आवेदक (Bidder) को (क) प्रतिभूति जमा (Security Deposit) के रूप में 12 (बारह) माह के मासिक लाइसेंस शुल्क (जिस मासिक दर पर अस्थाई आवंटन किया जाएगा) के समकक्ष राशि एवं (ख) एक माह का लाइसेंस शुल्क (जी.एस.टी. अतिरिक्त) आशय पत्र/संबन्धित ई-मेल की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अग्रिम में जमा करना होगा।
10. उपर्युक्त अनुसार लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति जमा का भुगतान नियत समय अवधि में करने से 7 (सात) दिनों के भीतर अथवा आशय पत्र जारी होने के एक माह दोनों में से जो भी अवधि अधिक हो उसके भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाए।

निरंतर.....

.....निरंतर

11. आवेदक द्वारा लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क लागू किया जाएगा। इस हेतु मासिक बिल की प्रति लाइसेंसी द्वारा प्रभारी, राजस्व अनुभाग, नगर प्रशासन, बीएचईएल, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मासिक बिल जारी होने की दिनांक से 10 (दस) दिनों के भीतर अथवा हर माह की 24 (चौबीस) तारीख दोनों में से जो भी पहले हो तक बिलों का भुगतान कर इसकी प्रमाणित प्रति प्रभारी, राजस्व अनुभाग को आवश्यक रूप से प्रदान की जानी होगी। लाइसेन्सी की सुविधा के लिए निम्नलिखित माध्यम से भुगतान स्वीकार्य किए जाते हैं :
 - ECS/NEFT/RTGS (इस हेतु विवरण परिशिष्ट-9 के संलग्नक के रूप में प्राप्त करें)
 - SBI Collect (onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm)
 - Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन राजस्व अनुभाग में देय।
12. सफल आवेदक को विद्युत/साफ सफाई एवं पानी आदि के लिए अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के आधार पर करना होगा।
13. एक या एक से अधिक भवन हेतु सफल रहे किसी आवेदक को उन भवनो हेतु अलग-अलग लाइसेंस जारी किया जाएगा जो कि किसी भी दशा में कुल तीन लाइसेंस से अधिक नहीं होंगे।
14. प्रारंभिक लाइसेंस अनुबंध की वैधता, अनुबंध निष्पादित किए जाने की दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। 5 (पाँच) वर्ष उपरांत भवन रिक्त कर बी.एच.ई.एल. प्रबंधन को वापस सौंपनी होगी। लाइसेन्सी के आवेदन पर प्रबंधन के अनुमोदन उपरांत लाइसेंस की अवधि अधिकतम 2 (दो) बार आगामी 5-5 (पाँच-पाँच) वर्षों के लिए उस समय विद्यमान नीति/नियम अनुसार बढ़ाई जा सकती है। नवीनीकरण हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण भवन नीति में विद्यमान नियम के अंतर्गत अथवा नवीनीकरण के समय लागू लाइसेंस शुल्क दोनों में से जो भी अधिक हो पर किया जाएगा। नवीनीकरण की दशा में पुनरीक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क के 12 माह के बराबर की प्रतिभूति राशि के रूप में लाइसेन्सी को जमा करना होगा। अथवा पुनरीक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क के 12 माह के बराबर की राशि में से पूर्व में प्रदत्त प्रतिभूति जमा को समायोजित करने के उपरांत अंतर की राशि प्रतिभूति जमा के रूप में लाइसेन्सी को जमा करना होगा।
15. लाइसेंस अनुबंध की वैध अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से मासिक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाएगी जिसे उच्चतर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित किया जाएगा।
16. इस निविदा के अंतर्गत जारी किसी भी या सभी लाइसेंस को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार अपर महाप्रबंधक (नगर प्रशासन), बी.एच.ई.एल. भोपाल के पास सुरक्षित हैं।
17. निविदा अथवा/एवं लाइसेंस अनुबंध से जुड़े किसी भी वाद-विवाद की दशा में अपर महाप्रबंधक (नगर प्रशासन), बी.एच.ई.एल. भोपाल का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप, परिशिष्ट-9 के अनुसार रहेगी।

तकनीकी निविदा

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त भवनों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/VB/2023-24 दिनांक 26/12/2023

वांछित भवन : _____ (तालिका 2 अनुसार)

व्यवसाय : _____ (तालिका 3 अनुसार)

1. कंपनी/ संस्थान/ सोसाइटी का नाम: _____

2. पता : _____

3. दूरभाष नं.: _____ मोबाइल नं. _____ ईमेल _____

4. तकनीकी मापदण्ड :

क्र.	तकनीकी अर्हता	सहायक दस्तावेज़	टिप्पणी
1.	आवेदक की स्थिति : कंपनी/ संस्थान/ सोसाइटी	भारत सरकार/ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	संलग्न
2.	आवेदक की स्थिति का विवरण : व्यक्ति/भागीदार/ट्रस्टी/संचालक/आदि	स्थिति से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति	संलग्न
3.	आवेदक का पेन/PAN (आयकर संबंधी)	पेन/PAN की छायाप्रति	संलग्न
4.	आवेदक का GST (लागू होने पर)	GST पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति	संलग्न
5.	बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में भवनों/दुकानों हेतु तीन अनुज्ञाओं (लाइसेंस) से अधिक न हो	इस हेतु रुपये 100/- के गैर-न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न
6.	पूर्ववर्ती (antecedent) का शपथ पत्र	इस हेतु रुपये 100/- के गैर-न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट-7 अनुसार)	संलग्न

(1) निविदा दस्तावेज शुल्क रु. 1180/- का विवरण : NEFT/D.D.No./एम.आर. नं. _____ दिनांक _____

(2) धरोहर राशि जमा का विवरण : रु. _____

NEFT/D.D.No./एम.आर. नं. _____ दिनांक _____

(3) कंपनी/ संस्थान/ सोसाइटी की पंजीयन संख्या (लागू होने पर) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(4) आवेदक का पेन/PAN (आयकर संबंधी) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(5) आवेदक का GST पंजीयन प्रमाण पत्र (लागू होने पर) : _____ (छायाप्रति संलग्न)

(6) बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में आवेदक को पूर्व में आवंटित भवनों/दुकानों का विवरण : _____ (विवरण संलग्न)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित तथ्य/ दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण हैं, इनमें से कोई भी जानकारी मिथ्या/कूटस्थित/त्रुटिपूर्ण अथवा किसी प्रकार से गलत नहीं है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि उपर्युक्त के संबंध में अपूर्ण जानकारी/दस्तावेज जमा करने अथवा भविष्य में बी.एच.ई.एल. द्वारा निविदा संबंधी अन्य जानकारी चाहे जाने पर मुझे सीमित अवधि के भीतर जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक निविदा पर विचार न करते हुए निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

वाणिज्यिक निविदा मुहरबंद लिफाफे में अलग से संलग्न है।

दिनांक : _____ स्थान : _____

नोट: एक से अधिक भवन के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जाए।

कंपनी/संस्थान/सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर एवं मुहर

वाणिज्यिक निविदा

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल स्थित रिक्त भवनो का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर आवंटन संबंधी।

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/VB/2023-24 दिनांक 26/12/2023

वांछित भवन _____ (तालिका 2 अनुसार)

व्यवसाय : _____ (तालिका 3 अनुसार)

1 कंपनी/संस्थान/सोसाइटी का नाम : _____

2 पता : _____

3 दूरभाष नं.: _____ मोबाइल नं. _____ ई मेल _____

आवेदक द्वारा उद्धृत (कोटेड) मासिक लाइसेंस शुल्क:

उद्धृत (कोटेड) दर (अंको में)	उद्धृत (कोटेड) दर (शब्दों में)
रुपये _____	रुपये _____ _____
उद्धृत राशि पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय	

- (क) उद्धृत राशि में काँट-छाँट अमान्य होगी, ऐसी वाणिज्यिक निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी एवं आवेदक को अयोग्य माना जाएगा।
- (ख) अंको एवं शब्दों में उद्धृत (कोटेड) राशि में अंतर या अस्पष्टता पाए जाने पर शब्दों में उद्धृत (कोटेड) राशि को मान्य किया जाएगा।
- (ग) प्रत्येक भवन हेतु अलग-अलग निविदा जमा करनी होगी।
- (घ) आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क से कम उद्धृत (कोटेड) राशि मान्य नहीं होगी।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी/संस्थान/सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर एवं मुहर

पूर्ववर्त (antecedent) संबंधी घोषणा (प्रारूप)

मैं,.....S/o, D/o, W/o.....उम्र.....वर्ष
निवासी.....मेसर्स.....(यदि लागू हो)
घोषित करता/करती हूँ कि मैंने आज दिन.....माह.....वर्ष को बी.एच.ई.एल. के आधिपत्य में लोक
परिसर, भोपाल में स्थित रिक्त भवन को केवल उपयोग के लिए लाइसेंस के आधार पर आवंटन हेतु निविदा क्र.
TAD/SC/Shops/2021-22, दिनांक 28/12/2021 के अंतर्गत अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

**मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी सिविल/आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं हूँ और न ही किसी पुलिस
थाने अथवा न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित है।**

उपर्युक्त कथन को असत्य पाये जाने की दशा में मेरा निविदा/लाइसेंस निरस्त किए जाने पर मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं
होगी एवं मैं इस संबंध में किसी भी राशि का भुगतान बी.एच.ई.एल. से वापस प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप एवं अन्य घटनाओं/आकस्मिक क्षतियों/अग्निकाण्ड/हानि
अथवा टूट-फूट होने की दशा में लाइसेंसदाता एवं अन्य कोई भी शासकीय निकाय किसी भी रूप में उत्तदायी नहीं होंगे और
मैं/संस्था/कंपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। मैं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा बी.एच.ई.एल. से प्राप्त नहीं
करूंगा/करूंगी।

मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि निविदा एवं “आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप” में वर्णित निबंधन एवं शर्तों का
सख्ती से पालन करूंगा।

कंपनी/संस्थान/सोसाइटी के फर्म का नाम

पदमुद्रा एवं पता



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal

(A Govt. of India undertaking)

उत्कृष्टता की ओर अग्रसर

"Marching Towards Business Excellence"

TO WHOM SO EVER IS CONCERNED.

Details for receiving Bank Account for NEFT/RTGS payment.

1. Name of Beneficiary : BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.
2. Name of the Bank : State Bank of India
3. Bank of Branch Address : HET, Piplani, Bhopal (M.P.)-462021
4. Account No. : 30855948540 ✓
5. IFSC Code : SBIN0000519
6. MICR : 462002011
7. Title of Account : Current Account
8. PAN No. : AAACB4146P

Place: Bhopal

Date : 19-01-2016

Chetan Mehar
19/01/16
चेतन मेहर
CHETAN MEHAR
Sr. Manager (Finance)
BHEL, Bhopal

We certify that the above bank details are correct as per our record.

Banker Signature & Seal
S.K. JAIN
SBN-2917

भोपाल : 462022, दूरभाष : 2500100 (7 लाईन्स), फैक्स : 0755 - 2500425, तार : भारतइलेक
Bhopal : 462022, Phone : 2500100 (7 Lines), Fax : 0755 - 2500425, Gram : BHARATELEC
WEB SITE ADDRESS : www.bhelbhopal.com

आदर्श अनुज्ञा अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध ----- (दिनांक)----- (माह) ----- (वर्ष) को तैयार कर निष्पादित किया गया है जो प्रथम पक्षकार के रूप में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसकी एक इकाई ----- नगर प्रशासक के माध्यम से संचालित है (जिसे इसके पश्चात 'कंपनी' संबोधित किया गया है), उक्त संबोधन में जहाँ संदर्भ निहित हो इसके उत्तराधिकारी, स्वत्वधारी और हस्तांतरिती सम्मिलित हैं

तथा

श्री/श्रीमती ----- पति/पत्नी श्री ----- जो कि मैसर्स ----- निवासी ----- के नाम तथा रूप से व्यवसाय संचालित कर रहे हैं (जिसे इसके पश्चात दूसरे पक्षकार के रूप में 'अनुज्ञापी' संबोधित किया गया है)।

संदर्भ के अनुरूप, कंपनी और अनुज्ञापी को व्यक्तिगत रूप से 'पक्षकार' और 'संयुक्त' रूप से पक्षकारगण संबोधित किया गया है।

कथन

यह कि:

- (क) कंपनी बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल स्थित ----- परिसर का स्वामी है जिसे विशेष रूप से अनुसूची ----- में विस्तार से वर्णित किया गया है (इसके पश्चात इसे 'परिसर' संबोधित किया गया है)।
- (ख) लागू नीतियों के अनुसार, कंपनी के प्रभावी विधान व नीतियों के अनुरूप संबंधित परिसर से पूर्णतः आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर व्यापार के संचालन हेतु व्यक्तियों को सम्मिलित करने की कंपनी इच्छुक है।
- (ग) इसके अनुसरण में कंपनी ने अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम एवं शर्तों के अनुसार आगे वर्णित अग्रिम नीलामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) अपनाई है।
- (घ) संबंधित परिसर में आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर अनुज्ञापी के रूप में आमेलन के इच्छुक होने के कारण अनुज्ञापी को दिनांक ----- को संपन्न उपर्युक्त वर्णित अग्रिम नीलामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई।
- (ङ) कंपनी की लागू नीतियों, अधिसूचना दिनांक ----- में वर्णित नियम एवं शर्तों तथा अनुज्ञापी द्वारा इस आशय की घोषणा कि वह अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम व शर्तों की पूर्ति करता है तथा वह उसके अनुरूप सर्वथा योग्य हैं तथा इसमें प्रतिभागिता करने से किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं हैं, पर कंपनी की आवंटन समिति द्वारा अनुज्ञापी की निविदा/बिड स्वीकार्य की गई।

तदनुसार, इसमें निहित परस्पर प्रसंविदा (म्युचुअल कॉवनेंट्स) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा प्रदान करती है तथा अनुज्ञापी उक्त अनुज्ञा को परिसर में व्यवसाय (व्यवसाय जिसे कंपनी ने खंड 2.1 में प्रतिबंधित व्यवसाय अधिसूचित नहीं किया है) को दिनांक ----- से ----- माह की अवधि के लिए चलाने हेतु स्वीकार करता है, इसमें यह देखा जाना अनिवार्य होगा कि अनुज्ञापी ने खंड 3.1 के अनुसार उक्त अवधि के दौरान रुपए ----- का मासिक अनुज्ञा शुल्क बिना विलम्ब के जिम्मेदारी से भरा हो तथा खंड 1.3 के अनुसार प्रतिभूति जमा करने के साथ ही अनुबंध में निहित शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन किया हो।

1.0	अवधि, प्रभावी दिनांक, इत्यादि।
1.1	इस अनुबंध के तहत जारी अनुज्ञा, अनुबंध निष्पादन किए जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।
1.2	अनुज्ञा की वैधता, प्रभावी दिनांक से कुल ----- माह की अर्थात् ----- तक मानी जाएगी।
1.3	अनुज्ञा के नियम एवं शर्तों के अनुसार 12 (बारह) महीने के अनुज्ञा शुल्क के बराबर की राशि ए.टी.एम./डेबिट कार्ड/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत अनुज्ञापी को परिसर का कब्जा करने की अनुमति होगी।
1.4	अनुज्ञा की धरोहर राशि, यदि कोई हो, निविदा/बोली के साथ संलग्न की जाएगी जो भुगतान की गई प्रतिभूति जमा में समायोजित कर ली जाएगी।
1.5	अनुज्ञा के निरस्तीकरण अथवा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञापी द्वारा परिसर को रिक्त करने और कंपनी को भौतिक रूप से कब्जा रहित परिसर सौंपने पर अनुज्ञापी से शेष वसूली की राशि की कटौती पश्चात प्रतिभूति जमा (Security Deposit) (ब्याज रहित) वापस की जाएगी।
1.6	इस अनुज्ञा के किसी भी नियम अथवा शर्त के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति जमा पूर्णतः अथवा उसका अंश भाग कंपनी के विवेकानुसार राजसात/जब्त कर लिया जाएगा।
1.7	इस अनुबंध के तहत अनुज्ञापी द्वारा अपने उत्तरदायित्व में चूक नहीं करने और इस संबंध में नियम व शर्तों के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा पूर्व पारस्परिक अनुबंध होने पर अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है।
2.	व्यवसाय के प्रकार:
2.1	कंपनी द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित तथा आवश्यक व्यवसायों की सूचियाँ अधिसूचित की जाएंगी। ऐसे व्यवसाय जिन्हें कंपनी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, परिसर से संचालित नहीं किए जाएंगे।
2.2	अनुज्ञापी एतद्द्वारा सहमत और वचनबद्ध है कि वह ऐसा कोई व्यवसाय परिसर से संचालित नहीं करेगा जिसे कंपनी द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
2.3	<u>सामान्य व्यवसाय के लिए</u> : अनुज्ञापी जिन्हें सामान्य व्यवसाय के लिए परिसर आवंटित किया गया हो वे आवश्यक व्यवसाय सहित किसी एक या एक से अधिक व्यवसायों को अपना सकते हैं जिसके लिए कंपनी की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही, अनुज्ञापी द्वारा आवश्यक व्यवसाय अपनाने पर व्यवसाय में ऐसे परिवर्तन हेतु अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में कोई परिवर्तन/छूट नहीं दी जाएगी।
3.0	अनुज्ञा शुल्क, इत्यादि:
3.1	अनुज्ञापी रुपये ----- (रुपये ----- मात्र) की राशि का मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में भुगतान करेगा।
3.2	प्रथम माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अनुबंध हस्ताक्षरित करने की दिनांक को किया जाएगा।
3.3	इस अनुबंध की अवधि के प्रथम वर्ष यथा; दिनांक ----- से ----- के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक कैलेन्डर माह के प्रथम दिन को बिना किसी आपति या शर्त के और इस संबंध में कंपनी द्वारा लिखित मांग के लिए दबाव डाले बिना करना होगा।
3.4	इस अनुबंध की अवधि के दौरान, खंड 3.1 वर्णित अनुज्ञा शुल्क इस अनुबंध के प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से बढ़ाया जाएगा जिसे उत्ततर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित (rounded off to the next higher ten Rupees) किया जाएगा।
3.5	अनुज्ञापी बढ़ी हुई अनुज्ञा शुल्क का भुगतान उक्त वर्ष के दौरान खंड 3.3 में निर्धारित रीति अनुसार करेगा। अनुबंध की अवधि के दौरान इस प्रक्रिया का अनुसरण आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।
3.6	उपर्युक्त वर्णित विधि के अनुसार अनुज्ञा शुल्क का उचित एवं समय पर भुगतान इस अनुबंध का महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा तथा अनुज्ञापी यह समझे कि नियत दिनांक तक देय भुगतान न होना इस अनुबंध के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों में मूलभूत कमी मानी जाएगी।
3.7	अनुज्ञा शुल्क की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा शुल्क प्राप्ति की पावती रसीद अवश्य जारी करे।
3.8	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि अनुज्ञापी को आवंटित आवासीय क्षेत्र अनुज्ञाप्त परिसर का हिस्सा माना जाएगा। तदनुसार अनुज्ञा शुल्क की गणना की जाएगी। (जो परिसर बिना आवासीय क्षेत्र के आवंटित हैं उन मामलों में खंड 3.8 को विलोपित माना जाएगा)।

4.0	कंपनी की आवश्यकता के लिए परिसर को रिवत किया जाना ।
4.1	अनुज्ञापी द्वारा परिसर पर कब्जे की अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी को उस परिसर की आवश्यकता होने पर कंपनी अनुज्ञापी को उक्त परिसर से किसी अन्य लगभग समान लोकेशन के परिसर में जाने हेतु कह सकती है और तदनु रूप कंपनी के लिए अनुज्ञापी स्वयं के व्यय पर निर्धारित समयावधि में पूर्व परिसर से नए परिसर में स्थानांतरित होगा । उपर्युक्त वैकल्पिक भवन उपलब्ध नहीं होने की दशा में कंपनी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा समाप्त कर सकती है ।
5.0	अनुज्ञा की प्रकृति तथा अनुज्ञाका हस्तांतरण /समनुदेशन (असाइमेंट) पर प्रतिबंध
5.1	यह कि उक्त परिसर के अनुज्ञापी को अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध में वर्णित प्रयोजन के लिए उक्त परिसर के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा प्रदत्त अनुमति द्वारा केवल अनुमत अधिकार होंगे । अनुबंध में वर्णित प्रावधान का कहीं भी आशय किराएदारी के सृजन अथवा अनुज्ञाप्त परिसर हेतु अनुज्ञापी के पक्ष में अनन्य अधिकार से नहीं हैं तथा उनका अधिकार मात्र अनुज्ञापी के रूप में ही है ।
5.2	यह कि अनुज्ञापी इस अनुज्ञा को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को न तो समनुदेशन/हस्तांतरित करेगा और न ही उक्त परिसर अथवा उसके किसी भाग को उप अनुज्ञा करेगा तथा इससे जुड़ा किसी प्रकार का विशेषाधिकार किसी भी रीति में किसी अन्य को प्रदान कर सकेगा । अनुज्ञापी इस अनुज्ञा में प्रदत्त किए गए प्रयोजन हेतु ही परिसर का उपयोग करेगा । इस शर्त का उल्लंघन पाए जाने की दशा में (किसी अन्य कार्रवाई जिसके लिए वह अधिकृत हो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) अनुज्ञा को अविलंब समाप्त किया जाएगा
6.0	विधियों का अनुपालन
6.1	यह कि ऐसी अवधि जिस के दौरान अनुज्ञा प्राप्त परिसर अनुज्ञापी के कब्जे में रहता है अनुज्ञापी केन्द्र और राज्य द्वारा अपने व्यापार के लिए या अनुज्ञाप्त परिसर के प्रयोग के लिए लागू कानूनों और नियम व अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है और उक्त प्रावधानों का अनुपालन स्वयं के स्वर्च पर वहन करने को तैयार है । विशेष रूप से आगे होने वाली व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापी बाल नियोजन अधिनियम 1938, भवन एवं व्यावसायिक स्थापना अधिनियम, आदि के प्रावधानों का पालन करेगा ।
6.2	अनुज्ञापी इस बात के लिये भी सहमत है कि वह अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु सभी अनुज्ञा संबंधी आज्ञाओं, परमिट अथवा क्लीयरेंस जो संबंधित प्राधिकारियों से लेना आवश्यक है, स्वयं के व्यय तथा स्वर्च पर प्राप्त करेगा ।
6.3	अनुज्ञापी इस बात का पालन करने के लिये भी तैयार है कि जब जक अनुज्ञाप्त परिसर उसके कब्जे में है अथवा रहेगा तब तक वह अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी से अनुमतियां स्वयं के व्यय पर प्राप्त करेगा ।
6.4	यह है कि अनुज्ञाप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा व्यापार संचालन के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को भुगतान/देय सभी कर (टैक्स), अधिभार (लेवी), उपकर (सेस), शुल्क अथवा प्रभार, समय-समय पर हुई वृद्धियों सहित का भुगतान अनुज्ञापी करेगा ।
6.5	अनुज्ञापी यह जानते हैं और सहमत हैं कि जिस परिसर में उनका आधिपत्य है तथा इस अनुबंध के अंतर्गत है, उससे संबंधित सांविधिक अथवा स्थानीय अथवा नियामक प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा इस अनुबंध के अधीन व्यवसाय किया जा रहा है समय-समय पर संबंधित शासकीय अथवा स्थानीय प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकता है तथा उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई कोई टिप्पणी अथवा आदेश का अनुपालन अनुज्ञापी स्वयं के स्वर्च पर करेगा ।
6.6	लागू प्रावधानों के संबंध में कोई उल्लंघन अथवा अवहेलना के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के दंड (फाइन) अथवा श्रास्ति (पेनाल्टी) का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा ।
6.7	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञादाता/कंपनी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का हिरसा नहीं बनेगा तथा अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए अनुज्ञादाता द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करेगा तथा केन्द्र अथवा राज्य के विधान, नियमों, नियमनों तथा किसी

	दिशा-निर्देशों अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा आदेशों का अनुपालन करेगा।
6.8	खण्ड 6.7 की शर्तों के अधीन अनुज्ञादाता द्वारा मांगी गई राशि का अनुज्ञापी द्वारा पूर्ण भुगतान बिना हील-हवाले के अविलंब किया जाएगा।
7.0	अनुज्ञापी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व
7.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञप्त परिसर से संचालित अपने व्यापार के संबंध में सभी प्रकार के जोखिम एवं उत्तरदायित्वों तथा ऋण व बकाया राशि के भुगतान हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा अनुज्ञापी के किसी भी कृत्य, अथवा लापरवाही, किसी अधिनियम से उपजे किसी सांविधिक अथवा अन्य ऋण, बकाया, अधिभार अथवा जोखिम हेतु कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
8.0	अनुज्ञप्त परिसरों की परिसीमा
8.1	अनुज्ञापी यह जानते और समझते हैं कि इस अनुज्ञा अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञा दीवारों और दरवाजों से परिसीमित क्षेत्र तक सीमित हैं। अनुज्ञप्त परिसर से लगा हुआ कोई खुला क्षेत्र अथवा सामने, पीछे या बाजू के बरामदे (यदि कोई) ग्राहकों, आगंतुको, आदि हेतु कॉमन पैसेज के रूप में उपयोग किया जाएगा तथा अनुज्ञप्त परिसर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ऐसे खुले क्षेत्र या बरामदे का उपयोग अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के भाग के रूप में किसी भी कार्य (विक्रय हेतु वस्तुओं के प्रदर्शन, आदि जैसे अन्य कार्यों सहित) हेतु नहीं किया जाएगा। बरामदे को पूर्णतया कब्जा मुक्त रखा जाए। सामने, पीछे, बाजू के बरामदा (यदि कोई) अथवा खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कब्जा अनधिकृत कब्जा माना जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही का जिम्मेदार अनुज्ञापी रहेगा।
8.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी रिवत भूमि पर न तो कब्जा करेगा और न ही अतिक्रमण करेगा तथा स्वयं का अनुज्ञप्त परिसर तक ही अपना उपयोग सीमित रखेगा। कंपनी की अनुमति के बिना इस खण्ड अथवा इससे पूर्व वर्णित खण्ड के अंतर्गत अतिक्रमण अनधिकृत कब्जा/अतिचार माना जाएगा, चाहे वह किसी भी समय किया गया हो।
9.0	विद्युत तथा जल प्रभार, जल-मल प्रभार, इत्यादि का भुगतान तथा भुगतान की चूक की दशा में कंपनी के अधिकार
9.1	यह कि अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि अनुज्ञप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर के संबंध में मांग की जाने पर वहसभी विद्युत तथा जल उपभोग प्रभार का पूरा भुगतान बिना हील-हवाले के करेगा। यदि कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से हों तो ऐसे प्रभार वास्तविक आधार (कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को सूचित करने) पर देय होंगे। कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से नहीं होने की दशा में कंपनी द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों के अनुरूप कंपनी द्वारा निर्धारित प्रभार का भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आरोपित व्यावसायिक कर (यदि कोई) का भुगतान भी अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
9.2	अनुज्ञापी इस बात से भी सहमत है कि वह सभी आवश्यक जल-मल प्रभार वहन करेगा तथा कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को भेजे गए बिलों को बिल प्राप्त होने की दिनांक के 7 (सात) कैलेन्डर दिनों के भीतर भुगतान करेगा, ऐसा नहीं होने पर 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जा सकेगी।
9.3	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि विद्युत/जल आपूर्ति के सभी बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने के दिनांक के 7(सात) कैलेन्डर दिनों में करेगा। बिलों के भुगतान में चूक होने की दशा में सेवाओं की आपूर्ति कंपनी द्वारा बिना कोई सूचना के तथा अनुबंध को निरस्त करने के कंपनी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवरुद्ध/विच्छिन्न कर दी जाएगी।
9.4	खण्ड 9.1 के अनुसार बकाया राशि तथा प्रत्येक सेवा हेतु कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित पुनर्संयोजन प्रभार (रीकनेक्शन चार्ज) के साथ ही खण्ड 9.5 अनुसार भुगतान में चूक की वसूली के भुगतान उपरांत कंपनी द्वारा तुरंत सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

9.5	भुगतान में अनुज्ञापी से चूक होने पर अर्थदंड की वसूली कम से कम 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह या बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.50% (डेढ़ प्रतिशत) ब्याज की दर (दोनों में से अधिक) से की जाएगी।
10.0	अनुज्ञप्त परिसर का रखरखाव
10.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर को सभी समय किराए योग्य स्थिति में बनाए रखने हेतु स्वयं के व्यय एवं लागत पर आंतरिक एवं बाह्य रखरखाव करेगा। तदपि, इस मद पर ऐसे व्यय एवं लागत हेतु आरक्षित अनुज्ञा शुल्क में छूट का दावा करने अथवा अनुज्ञा की अवधि बढ़ाने हेतु पात्र नहीं होगा।
10.2	अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर को कंपनी की संतुष्टि के अनुरूप साफ-सुथरा बनाये रखने तथा स्वास्थ्यकारी स्थिति में बनाये रखेगा।
10.3	कंपनी के अनुरक्षण के प्रभारी अभियंता अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुज्ञापी को आवंटित परिसर के किसी भी भाग में कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के प्रयोजन के साथ ही आवश्यक मरम्मत तथा अन्य वार्षिक अनुरक्षण कार्यों हेतु पहुँच का अधिकार होगा।
10.4	यह कि अनुज्ञापी छोटी-मोटी मरम्मत अथवा अस्थायी आंतरिक कार्य को छोड़कर स्थायी प्रकार के विस्तार/परिवर्तन नहीं करेगा। किसी प्रकार के ढांचागत परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
10.5	यह है कि अनुज्ञापी उक्त परिसर में हुई किसी प्रकार की क्षति (सामान्य टूट-फूट को छोड़कर) को स्वयं के व्यय पर सही करवाएगा। इस संबंध में कंपनी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अनुज्ञापी पर अंतिम एवं बाध्य होगा।
10.6	अनुज्ञप्त परिसर में बड़ी ढांचागत मरम्मत, यदि आवश्यक हो, कंपनी द्वारा करवाई जाएगी। कंपनी द्वारा इस प्रयोजन हेतु मरम्मत के लिए निर्धारित समयावधि के लिए अनुज्ञापी से परिसर खाली कराकर उसका आधिपत्य लिया जा सकता है।
10.7	कंपनी को उक्त परिसर के ऐसे आधिपत्य देने पर किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि के लिए क्षतिपूर्ति का कोई दावा अनुज्ञापी नहीं कर सकेगा। तदपि, अनुज्ञा अनुबंध की मूल अवधि को उस समयावधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिस अवधि के लिए अनुज्ञापी के पास परिसर का आधिपत्य नहीं था तथा ऐसी मरम्मत के कारण वह परिसर का उपयोग नहीं कर सका।
10.8	मरम्मत किए जाने के 6 (छः) माह की अवधि के भीतर अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर का आधिपत्य नहीं दिए जा सकने की दशा में अनुज्ञापी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
11.0	परिसर से आपत्तिजनक/अवांछित व्यक्तियों को हटाना
11.1	व्यापार के संचालन हेतु परिसर में अनुज्ञापी की उपस्थिति सामान्यतः बनी रहनी चाहिए।
11.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञप्त परिसर में अथवा उससे संबद्ध परिसर में किसी कर्मचारी अथवा सहायक जिसकी उक्त परिसर में निरंतर उपस्थिति कंपनी द्वारा चिकित्सा, सुरक्षा अथवा किसी अन्य कारण वांछित नहीं हो, को उक्त परिसर से हटाएँ, इस हेतु कंपनी द्वारा कारण बताना आवश्यक/बंधनकारी नहीं होगा। इस संबंध में कंपनी के नगर प्रशासन विभाग के प्रभारी का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12.0	अनुज्ञापी द्वारा पाइप लाइन, इत्यादि से छेड़छाड़ नहीं करना
12.1	अनुज्ञापी उन्हें आवंटित परिसर के ऊपर अथवा नीचे से जाने वाली पाइप लाइनों, गैस पाइप लाइनों, जल पाइप लाइनों, सीवेज पाइप लाइनों, टेलीग्राफ लाइनों, दूरभाष, अन्य केबल लाइनों तथा विद्युत लाइनों के साथ न तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा न ही उन्हें क्षतिग्रस्त करेगा।
13.0	अनुज्ञा भंग होने पर समाधान तथा अनुज्ञा का निरस्तीकरण वैसी परिस्थितियाँ जिनकी प्रकृति गंभीर न हो तथा जिनके कारण अनुज्ञा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता न हो (जैसे सामग्री/माल रखकर बरामदे को अवरुद्ध करना, भवन को बढ़ाकर बरामदे तक ले आना, आदि) के कारण अनुज्ञा भंग होने पर अर्थदंड लगाने का उल्लेख इस खंड में किया गया है।

13.1	<p>इस अनुबंध में अब तक विशिष्ट रूप से वर्णित प्रावधानों को छोड़कर अनुज्ञापी अथवा उनके कर्मचारी/एजेंट द्वारा इस अनुबंध के नियम व शर्तों को भंग करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में, कंपनी इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त समाप्ति/प्रतिसंहरण के अपने अधिकारों के बावजूद, अनुज्ञापी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कार्रवाई कर सकती है :-</p> <p>क) इस अनुबंध के किसी प्रावधान के उल्लंघन अथवा उसके अनुपालन न किए जाने पर उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ) प्रतिदिन अर्धदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस अनुबंध के प्रावधानों का अनुज्ञापी द्वारा आदतन उल्लंघन पाए जाने की दशा में उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिदिन की अर्धदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस संबंध में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि मांग जारी होने के 7 (सात) कार्य-दिवसों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना है अन्यथा उसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जाएगी।</p> <p>ख) कंपनी अथवा अनुज्ञाप्त परिसर में किसी प्रकार की क्षति की भरपाई हेतु प्रतिभूति जमा को पूर्णता अथवा आंशिक रूप में जब्त किया जा सकता है।</p> <p>ग) प्रत्येक ऐसे उल्लंघन अथवा अनुपालन न किए जाने के मामले में अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग को अधिकतम 90 (नब्बे) दिवस हेतु निरुद्ध (सस्पेंड) किया जा सकता है।</p>
13.2	इस अनुबंध में अन्यथा वर्णित बातों के बावजूद, यह अनुबंध उभयपक्ष द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण दर्शाए एक माह की लिखित सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा।
13.3	भवन का आवंटन “जहाँ है-जैसी है” स्थिति के आधार पर किया जाएगा। किसी भी कारण परिसर को खाली कराने/अनुज्ञा की समाप्ति/निरस्तीकरण के समय, अनुज्ञा अवधि के दौरान व्यापार/व्यवसाय संचालित करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा परिसर में कराए गए निर्माण, अस्थायी निर्माणों, साज-सज्जा, आदि को तोड़ने/साफ करने हेतु किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति आवंटनी को नहीं की जाएगी।
13.4	खंड 13.2 के अनुसार अनुज्ञा की समाप्ति पर समाप्ति/खाली करने की सूचना अवधि के दौरान अनुज्ञापी उक्त परिसर से अपनी सभी सामग्री हटा लेगा तथा कंपनी को रिक्त परिसर सौंपने के साथ ही परिसर में हुई टूट-फूट की मरम्मत करेगा।
13.5	अनुज्ञापी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण/ढांचा बनाया गया हो तो उसे स्वयं की लागत पर हटाएगा तथा परिसर को जिस दशा में उसे सौंपा गया था उसी दशा में जमा करेगा। यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि कोई ढांचा नहीं हटाया जाए तथा परिसर में बनाए रखा जाए तब कंपनी द्वारा उक्त निर्माण/ढांचे का मूल्यांकन किया जाएगा, जो अंतिम होगा तथा जिसका भुगतान एक उपयुक्त अवधि में अनुज्ञापी को किया जाएगा।
13.6	किसी भी कारण अनुज्ञा समाप्ति की दशा में अनुज्ञापी कंपनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा निवेश की वसूली अथवा अन्य वैकल्पिक परिसर के दावे का पात्र नहीं होगा।
13.7	अनुज्ञापी के दिवालिया होने अथवा मृत्यु अथवा चारित्रिक दुराचरण (मोरल टरपिट्यूड) के अभियोग में न्यायालय द्वारा दंडित करने की दशा में अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।
13.8	अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिक्त करना इस अनुबंध का सार है जिसके न होने पर कंपनी अनाधिकृत आधिपत्य हेतु अनुज्ञा शुल्क के 200% (दो सौ प्रतिशत) की दर से (किसी भी दशा में रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिदिन से कम न हो) दंड प्रभार का दावा करने की पात्र होगी। यह राशि अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।
14.0	मुद्रांकन तथा निष्पादन संबंधी लागत
14.1	यह कि इस अनुबंध के मुद्रांकन तथा निष्पादन की लागत का वहन अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
15.0	अनुज्ञापी को कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी यदि वह कंपनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसे अनुज्ञापी के व्यापार के अंतिम ज्ञात पते अथवा उपर्युक्त परिसर में अनुज्ञापी को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो। अनुज्ञापी द्वारा कंपनी को सूचना तब उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी जब वह पूर्ण पते तथा वांछित स्टाम्पे सहित इकाई के नगर प्रशासक के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो अथवा हस्त डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो।

16.0	मध्यस्थता/आर्बीट्रेशन
16.1	इस अनुबंध से उपजे अथवा इससे संबंधित उभयपक्षों के बीच किसी भी विवाद अथवा मतभिन्नता, जब तक कि वह लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम 1971 अथवा कोई अन्य सांविधिक अधिनियमन अथवा समय-समय पर उसमें संशोधन से बाहर न हो, एक एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एकल मध्यस्थ का मनोनयन कंपनी के इकाई प्रमुख द्वारा किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी तथा यह आर्बीट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट 1996 और उसमें समय-समय पर किए गए सांविधिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
17.0	शासित विधि
17.1	उपयुक्त खंड 16 के प्रावधानों के अनुरूप उभयपक्षों का विवाद भोपाल (म. प्र.) के न्यायक्षेत्र के अधीन होगा।
	संपत्ति की अनुसूची भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के ----- क्षेत्र में स्थित भवन -----, जिसका क्षेत्रफल ----- (वर्गफीट)/आवासीय क्षेत्रफल ----- (वर्गफीट) है जो ----- तल पर है तथा इसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :- उत्तर में : दक्षिण में : पूर्व में : पश्चिम में :
	उपयुक्त दिनांक तथा वर्ष को उभयपक्ष द्वारा गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। 1 गवाह (1) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर से (2) 2 गवाह (1) अनुज्ञापी का स्थाई पता नाम : निवास का पता : दूरभाष नं. (2)